

21.1.2025

फर्द अहकाम (नियम 15)




2025/31

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रावतसर जिला हनुमानगढ़
प्रेमकुमार बनाम कालूराम आदि

मुकदमा किस्म अन्तर्गत धारा 212 आरटीएक्ट

प्रकरण संख्या 04

वर्ष 2025

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुये
07.01.2025	<p>प्रार्थी प्रेमकुमार की तरफ से वकील श्री अकुरं गेदर ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीएक्ट पेश किया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। वकील प्रार्थी को एक पक्षीय सुना गया। प्रार्थी के वकील को एक पक्षीय सुनने एवं प्रस्तुत शपथ पत्र तथा संलग्न दस्तावेज के आधार पर अस्थाई निषेधाज्ञा इस आशय की जारी की जाती है कि मायला के ख.नं. 240 की 4.199 है। भूमि की अप्रार्थी रिकार्ड व मौका की यथास्थिति बनाये रखें व रहन बैय करने से तथा अवैध रूप से जिप्सम निकालने से निषेद्ध रहे। यह निषेधाज्ञा रास्ता, खाला, बैंक ऋण (रोड़ा एक्ट) एवं अन्य किसी राजकीय प्रयोजनार्थ पर लागू नहीं होगी। वकील प्रार्थी, अप्रार्थी को साधारण डाक के साथ-साथ नोटिस रजिस्ट्रड डाक से तल्बी करवावें व रजिस्ट्रड डाक की रसीदें न्यायालय में 3 दिवस में आवश्यक रूप से पेश करे। पत्रावली आईन्दा तारीख 07.02.2025 को पेश हो</p> <p style="text-align: center;">  सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रावतसर </p> <p>21.1.2025 वकील प्रार्थी ने प्रार्थना-पत्र सिवाल पेम्पी पेसा करने पर प्रजावनी को पेम्पी में लिपा गया। वकील प्रार्थी ने निवेदन दिया कि वह प्रार्थना-पत्र आगे नहीं चलाना चाहते हैं। प्रजावनी में जाहीज करवाना चाहते हैं। अतः प्रार्थना-पत्र प्रजावनी में जाहीज दिया जाता है। प्रजावनी नम्बर से इस की जाकर 15 तारीख तक जाहीज जाकर हाजिल हुआ है।</p> <p style="text-align: center;">  सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रावतसर </p>	<p>नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुये</p> <p>शर्जीनामा टैपका है। प्रजावनी नहीं पाएगा</p> <p style="text-align: right;">  21/1/25 </p>

